FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–
श्री राजेन्द्र व्यास, लोढों का बास, रायपुर जिला पाली (राज.)
सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 45 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	612-13 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र u/s 19(1) सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत का उनके द्वारा प्रस्तुत दि० 5/1/12 एवं 8/2/2012 की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रतियां चाही है जिसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई। लोक सूचना अधिकारी तह० रायपुर को जरिये पत्रांक 612 दि० 6-5-19 के लिखा गया। उन्होंने अपने पत्रांक सू० अ०/सू० अ०/19/2407 दिनांक 27-5-19 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित दोनों प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं होने से उनके प्रतिलिपी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है इस बाबत अपीलांट को तह० रायपुर के जरिये पत्रांक सू० अ०/सू० अ०/18/178 दिनांक 11-1-19 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। वर्तमान में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील drop की जाती है। तह० रायपुर से प्राप्त प्रस्तुत [illegible] अपी० को सूचित करें। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	777 4/6/19